Dr. Honey Sinha
(Assistant Professor)
Dept. of Commerce
Sub: Business organisation (B.O)
Subsidiary.
SNSRKS College Saharsa

B.Com Part-1st

Introduction:- फर्म के अन्त अथवा समापन की रीतियाँ

(MODES OF DISSOLUTION OF A FIRM)

फर्म की समाप्ति निम्नलिखित दशाओं में से किसी भी दशा में हो सकती है। :—

(1) समझौते द्वारा समाप्ति (Dissolution by Agreement)

किसी भी फर्म को सभी साझेदारों की सहमति अथवा साझेदारों के बीच किसी अनुबन्ध के अनुसार समाप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार साझेदारी सभी साझेदारों कि सहमति से निर्मित होती है, उसी प्रकार सभी साझेदारों की सहमति से उसकी समाप्ति भी हो सकती है। [धारा 40]

(2) अनिवार्य समाप्ति (Compulsory Dissolution)

निम्न अवस्थाओं में एक फर्म की अनिवार्य रूप से समाप्ति हो जाती है

(i) जब सभी साझेदार एक को छोड़कर शेष साझेदार दिवालिया घोषित कर दिये जायें।

(2)

(ii) जब किसी घटना के घटित होने के कारण फर्म का व्यापार अवैधानिक हो जाय। जैसे: फर्म से जिस वस्तु का व्यापार होता है उसका क्रय विक्रय निषेध (Prohibition) हो जाये।

[धारा 41]

(3) कुछ संयोगों के घटित होने की दशा में समाप्ति (Dissolution on the Happening of Certain Contingencies) :-
यदि साझेदारों के बीच इसके विपरीत कोई अनुबन्ध न हो, तो निम्न घटनाओं के घटित होने पर फर्म कि समाप्ति हो जाएगी।

(i) यदि फर्म किसी निश्चित अवधि के लिए स्थापना की गई थी, तो उसके पूरा होने पर।

(ii) यदि फर्म किसी एक या अधिक कार्यों के लिए स्थापना कि गई थी, तो उसके पूरा होने पर।

(iii) किसी साझेदारी कि मृत्यु होने पर।

(4) ऐच्छिक साझेदारी में सूचना द्वारा समाप्ति [धारा - 42]
(Dissolution by Notice of Partenership at will)

यदि 'ऐच्छिक साझेदारी' है तो कोई भी साझेदार दूसरे सभी साझेदारों को फर्म को समाप्त करने कि अपनी इच्छा का लिखित सूचना देकर फर्म को समाप्त कर सकता है। फर्म सूचना (Notice) में दी गई तिथि से समाप्त हुई मानी जाएगी

(3)

अथवा यदि कोई निश्चित तिथि न हो तो सूचना की तिथि से ही फर्म का अन्त माना जायेगा।
[धारा 45]

(5) न्यायालय द्वारा समाप्ति (Dissolution by the Court)

किसी साझेदार द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर पर अर्थात अभियोग (Suit) चलाये जाने पर न्यायालय निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर फर्म की समाप्ति का आदेश दे सकता है —

(i) किसी साझेदार के पागल हो जाने पर (Lunacy of a Partner) —

किसी साझेदार के पागल हो जाने पर फर्म तुरन्त समाप्त नहीं होती। पागल साझेदार के कार्य फर्म और दूसरे साझेदारों को बांधते हैं। जब तक फर्म का अन्त नहीं हो जाता तब तक पागल साझेदार का दायित्व बराबर जारी रहता है।

(ii) किसी साझेदार के स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने पर (Permanent Incapacity of a Partner)
यदि कोई साझेदार अपने कर्तव्यों के पालन करने में स्थायी रूप से असमर्थ हो जाता है तो न्यायालय

(4)

किसी साझेदार द्वारा वाद (Suit) प्रस्तुत करने पर फर्म समाप्त करने की आज्ञा दे सकता है। असमर्थता शारीरिक हो सकती है जैसे : अंधा होने की दशा में।

(iii) किसी साझेदार के दुराचरण के आधार पर (Misconduct of a Partner) यदि कोई साझेदार किसी ऐसे दुराचरण का दोषी है जिससे व्यापार के संचालन में हानि की आशंका है, तो न्यायालय किसी दूसरे साझेदार द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर फर्म को समाप्त करने की आज्ञा दे सकता है।

(iv) किसी साझेदार द्वारा साझेदारी ठहराव भंग करने के आधार पर (Breach of Agreement by a Partner) :-

यदि कोई साझेदार जान-बूझकर या लगातार फर्म के प्रबन्ध से सम्बन्धित मामलों में अथवा फर्म के कारोबार के संचालन से सम्बन्धित मामलों में ठहरावों को भंग करता है अथवा कारोबार से सम्बन्धित मामलों में इस प्रकार आचरण करता है कि दूसरे साझेदारों के लिए उसके साथ साझेदारी में कारोबार करना उचित रूप से असम्भव है।

(v) हानि प्रद कारोबार पर (Losing Concern) :- यदि

फर्म का कारोबार हानि के अतिरिक्त लाभ पर नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी दशा मे भी न्यायालय फर्म की समाप्ति की आज्ञा दे सकता है।

(6) कपट द्वारा (By fraud) :- यदि कोई साझेदार फर्म के साथ कपट करता है, तो फर्म को समाप्त किया जा सकता है।

The end

Dr. Honey Sinha
Assistant professor
Deptt. of commerce
S.N.S.R.K.S college
Saharsa